राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2025 जयपुर,दिनांकः

–:परिपत्र:–

विषयः– राजसेवकों द्वारा राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी कार्य मूल्यांकन अनुदेश 2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के तहत राजसेवको के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से एसीआर मॉड्यूल पर निश्चित समयावधि मे ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी की निरंतरता में प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित है।

अतः राज्य सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी प्रतिवेदन वर्ष 2024–25 का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक राजकाज के माध्यम से एसीआर मॉड्यूल पर भरा जाना सुनिश्चित करे, साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागो के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षो (सभी जिला कलेक्टर्स सहित) को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु व्यादिष्ट किया जाता है कि:–

1. अपने अधीन कार्यरत राजसेवको के वर्ष 2024–25 की एपीएआर/एसीआर राजकाज पोर्टल पर अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक भरने हेतु निर्देशित करे।
2. यह भी सुनिश्चित करे कि अपने अधीनस्थ कैडर के समस्त अधिकारियो/कर्मचारियो के एपीएआर चैनल राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये गये है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन दिशा निर्देश 05.06.2008 एवं समय–समय पर जारी परिपत्र कार्मिक विभाग की बेवसाईट **www.dop.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। राजकाज संबंधित तकनीकी सहायता के लिये राजकाज हैल्पडेस्क नंबर 0141–29–22281, 21149 पर सम्पर्क कर सकते है।

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.04 22:01:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14606671

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग—7 कापियों सहित ।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Krishna Kant Pathak
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.04.04 22:01:08 IST
Reason: Approved